

अधिसूचना

नई दिल्ली, 1 सितम्बर, 2010

का.आ. 2154(अ).—राष्ट्रीय अन्वेषण अभिकरण अधिनियम, 2008 (2008 का 34) की धारा 11 की उप-धारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए केन्द्र सरकार, एतद्द्वारा, अनुसूचित अपराधों के विचारण के लिए उक्त अधिनियम की धारा 11 की उक्त उप-धारा (1) के उद्देश्य के लिए वरिष्ठतम अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश, मोहाली के न्यायालय को विशेष न्यायालय के रूप में अधिसूचित करती है।

2. ऊपर उल्लिखित विशेष न्यायालय का क्षेत्राधिकार सम्पूर्ण पंजाब राज्य होगा।

[सं. 17011/50/2009-आई एस-VI]

धर्मेन्द्र शर्मा, संयुक्त सचिव

NOTIFICATION

New Delhi, the 1st September, 2010

S.O. 2154(E).—In exercise of the powers conferred by sub-section (1) of Section 11 of the National Investigation Agency Act, 2008 (34 of 2008), the Central Government hereby notifies the Court of Senior Most Additional Sessions Judge at Mohali as the Special Court for purposes of the said sub-section (1) of Section 11 of the said Act for the trial of Scheduled Offences.

2. The Jurisdiction of the Special Court mentioned above shall extend throughout the State of Punjab.

[No. 17011/50/2009-IS-VI]

DHARMENDRA SHARMA, Jt. Secy.

अधिसूचना

नई दिल्ली, 1 सितम्बर, 2010

का.आ. 2155(अ).—राष्ट्रीय अन्वेषण अभिकरण अधिनियम, 2008 (2008 का 34) की धारा 11 की उप-धारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए केन्द्र सरकार, एतद्द्वारा, अनुसूचित अपराधों के विचारण के लिए उक्त अधिनियम की धारा 11 की उक्त उप-धारा (1) के उद्देश्य के लिए वरिष्ठतम अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश, पंचकूला के न्यायालय को विशेष न्यायालय के रूप में अधिसूचित करती है।

2. ऊपर उल्लिखित विशेष न्यायालय का क्षेत्राधिकार सम्पूर्ण हरियाणा राज्य होगा।

[सं. 17011/50/2009-आई एस-VI]

धर्मेन्द्र शर्मा, संयुक्त सचिव

NOTIFICATION

New Delhi, the 1st September, 2010

S.O. 2155(E).—In exercise of the powers conferred by sub-section (1) of Section 11 of the National Investigation Agency Act, 2008 (34 of 2008), the Central Government hereby notifies the Court of Senior Most Additional Sessions Judge at Panchkula as the Special

Court for purposes of the said sub-section (1) of Section 11 of the said Act for the trial of Scheduled Offences.

2. The Jurisdiction of the Special Court mentioned above shall extend throughout the State of Haryana.

[No. 17011/50/2009-IS-VI]

DHARMENDRA SHARMA, Jt. Secy.

अधिसूचना

नई दिल्ली, 1 सितम्बर, 2010

का.आ. 2156(अ).—राष्ट्रीय अन्वेषण अभिकरण अधिनियम, 2008 (2008 का 34) की धारा 11 की उप-धारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए केन्द्र सरकार, एतद्द्वारा, अनुसूचित अपराधों के विचारण के लिए उक्त अधिनियम की धारा 11 की उक्त उप-धारा (1) के उद्देश्य के लिए जिला न्यायालय, कावारती को विशेष न्यायालय के रूप में अधिसूचित करती है।

2. ऊपर उल्लिखित विशेष न्यायालय का क्षेत्राधिकार सम्पूर्ण लक्षद्वीप संघ राज्य क्षेत्र होगा।

[सं. 17011/50/2009-आई एस-VI]

धर्मेन्द्र शर्मा, संयुक्त सचिव

NOTIFICATION

New Delhi, the 1st September, 2010

S.O. 2156(E).—In exercise of the powers conferred by sub-section (1) of Section 11 of the National Investigation Agency Act, 2008 (34 of 2008), the Central Government hereby notifies the District Court, Kavaratti as the Special Court for purposes of the said sub-section (1) of Section 11 of the said Act for the trial of Scheduled Offences.

2. The Jurisdiction of the Special Court mentioned above shall extend throughout the Union Territory of Lakshadweep.

[No. 17011/50/2009-IS-VI]

DHARMENDRA SHARMA, Jt. Secy.

अधिसूचना

नई दिल्ली, 1 सितम्बर, 2010

का.आ. 2157(अ).—राष्ट्रीय अन्वेषण अभिकरण अधिनियम, 2008 (2008 का 34) की धारा 11 की उप-धारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए केन्द्र सरकार, एतद्द्वारा, अनुसूचित अपराधों के विचारण के लिए उक्त अधिनियम की धारा 11 की उक्त उप-धारा (1) के उद्देश्य के लिए माननीय श्रीमती अनीता झा, जिला एवं सत्र न्यायाधीश, बिलासपुर की अध्यक्षता वाले जिला एवं सत्र न्यायाधीश, बिलासपुर को विशेष न्यायालय के रूप में अधिसूचित करती है।

2. ऊपर उल्लिखित विशेष न्यायालय का क्षेत्राधिकार सम्पूर्ण छत्तीसगढ़ राज्य होगा।

[सं. 17011/50/2009-आई एस-VI]

धर्मेन्द्र शर्मा, संयुक्त सचिव

अधिसूचना

नई दिल्ली, 8 जुलाई, 2013

का. आ. 2079(अ).—राष्ट्रीय अन्वेषण अभिकरण अधिनियम, 2008 (2008 का 34) की धारा-II की उप-धारा (3) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए और माननीय मुख्य न्यायमूर्ति, उच्च न्यायालय, केरल की सिफारिश पर केन्द्र सरकार श्री पुत्तेकादन उबैद, जिला एवं सत्र न्यायधीश, कोजीकोड, जिन्हें भारत सरकार, गृह मंत्रालय की दिनांक 23 नवम्बर, की संख्या का.आ. 2781(अ) के तहत भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग II, खण्ड 3, उप-खण्ड (ii) में प्रकाशित अधिसूचना के तहत राष्ट्रीय अन्वेषण अभिकरण विशेष न्यायालय, अर्थात् जिला न्यायालय, कावारती, लक्षद्वीप की अध्यक्षता करने के लिए न्यायधीश नियुक्त किया गया था, के स्थानांतरण के परिणामस्वरूप श्री वन्नारथ भास्करन, जिला एवं सत्र न्यायधीश, कोजीकोड को उक्त राष्ट्रीय अन्वेषण अभिकरण विशेष न्यायालय की अध्यक्षता करने के लिए एतद्वारा न्यायधीश के रूप में नियुक्त करती है।

[फा. सं. 17011/50/2009-आई एस-IV (पार्ट-1)]

राकेश सिंह, संयुक्त सचिव

NOTIFICATION

New Delhi, the 8th July, 2013

S.O. 2079(E).— In exercise of the powers conferred by sub-section (3) of section 11 of the National Investigation Agency Act, 2008 (34 of 2008) and on the recommendation of the Hon'ble Chief Justice of High Court, Kerala, the Central Government hereby appoints Shri Vannarath Bhaskaran, District and Sessions Judge, Kozhikode as Judge to preside over the National Investigation Agency Special Court, that is, the District Court, Kavarati, Lakshadweep, consequent upon the transfer of Shri Puttekadan Ubaid, District and Sessions Judge, Kozhikode who was appointed as a Judge to preside over the said National Investigation Agency Special Court vide notification of the Government of India in the Ministry of Home Affairs, published in the Gazette of India, Extraordinary, Part-II, Section 3, Sub-section (ii), vide number S.O. 2781(E), dated the 23rd November, 2012.

[F. No. 17011/50/2009-IS. IV (Pt.-1)]

RAKESH SINGH, Jt. Secy.

अधिसूचना

नई दिल्ली, 8 जुलाई, 2013

का. आ. 2080(अ).—राष्ट्रीय अन्वेषण अभिकरण अधिनियम, 2008 (2008 का 34) की धारा-II की उप-धारा (3) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए और माननीय मुख्य न्यायमूर्ति, उच्च न्यायालय, पंजाब व हरियाणा की सिफारिश पर केन्द्र सरकार श्री राजेन्द्र सिंह राय, जिन्हें भारत सरकार, गृह मंत्रालय की दिनांक 16 जुलाई, 2012 की संख्या का.आ. 1586 (अ) के तहत भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग II, खण्ड 3, उप-खण्ड (ii) में प्रकाशित अधिसूचना के तहत राष्ट्रीय अन्वेषण अभिकरण विशेष न्यायालय, अर्थात् मोहाली के वरिष्ठतम अपर सत्र न्यायधीश का न्यायालय की अध्यक्षता करने के लिए न्यायधीश नियुक्त किया गया था, के स्थानांतरण के परिणामस्वरूप श्री परमिन्दर पाल सिंह, अपर जिला एवं सत्र न्यायधीश, मोहाली, पंजाब को उक्त राष्ट्रीय अन्वेषण अभिकरण विशेष न्यायालय की अध्यक्षता करने के लिए एतद्वारा न्यायधीश के रूप में नियुक्त करती है।

[फा. सं. 17011/50/2009-आई एस-IV (पार्ट-1)]

राकेश सिंह, संयुक्त सचिव

NOTIFICATION

New Delhi, the 8th July, 2013

S.O. 2080(E).— In exercise of the powers conferred by sub-section (3) of section 11 of the National Investigation Agency Act, 2008 (34 of 2008) and on the recommendation of the Hon'ble Chief Justice of Punjab and Haryana High Court, Chandigarh, the Central Government hereby appoints Shri Parminder Pal Singh, Additional District and Sessions Judge, Mohali, Punjab as Judge to preside over the National Investigation Agency Special Court, that is, the Court of Senior Most Additional Sessions Judge at Mohali, consequent upon the transfer of Shri Rajinder Singh Rai who was appointed as a Judge to preside over the said National Investigation Agency Special Court vide notification of the Government of India in the Ministry of Home Affairs, published in the Gazette of India, Extraordinary, Part-II, Section 3, Sub-section (ii), vide number S.O. 1586(E), dated the 16th July, 2012.

[F. No. 17011/50/2009-IS. IV (Pt.-1)]

RAKESH SINGH, Jt. Secy.